

56

प्रेषक,

जनपद न्यायाधीश,
गोण्डा ।

पंजीकृत

Request-120

13549

सेवा में,

श्री कै०सी० श्रीवास्तव,
उप निबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद ।

29/8/06

IV/3162

31/8/06

25-5-7

30/8/06

संख्या: 1992

दिनांक: 22-8-2006

विषय: उ०प्र० दहेज प्रतिषेध नियमावली 1999 यथासंशोधित
2004 के प्राविधानों के सम्बन्ध में माननीय उच्च
न्यायालय के परिपत्र क्रमांक-31/2005 दिनांक -
29.10.2005 का क्लॉई से अनुपालन के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र सं०-1797

दिनांक 24.7.2006 तथा माननीय उच्च न्यायालय के पत्र

क्रमांक-9073/प्रशास० ए-4 दिनांक 13.7.2006 के सन्दर्भ में

अनुरोध करना है कि उपरोक्त परिपत्र क्रमांक-31/05 दिनांक -

29.10.2005 एवं शासनादेश संख्या-3670/60-3-05-3

16 ए०ब्यू०/2000 दिनांक 2.5.2005, 1284/60-3-2005-3

654 दिनांक 26.05.2005 तथा उत्तर प्रदेश प्रतिषेध प्रथम

संशोधन नियमावली 2004 के नियम-555 क में निहित

निर्देशों के अनुपालन में, न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान,

उ०प्र०, लखनऊ में तत्समय प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे, जनपद न्यायालय

गोण्डा में नवनियुक्त अपर सिक्कि जज जू० डि० गोण्डा क्रमांक:

श्री ब्रह्मतेज कतुर्वेदी एवं श्री श्यामल मिश्र से अपेक्षित घोषणापत्र

प्राप्त कर लिए गए हैं । श्री हुमायूं रशीद खां, अपर सिक्कि जज

जू० डि० गोण्डा एवं श्री शाहनवाज तोकीर खां तनवीर, अपर

सिक्कि जज जू० डि० गोण्डा द्वारा इस आशय के घोषणापत्र

प्रस्तुत किए गए हैं कि उनका विवाह अभी नहीं हुआ है, और

यह कि वे अपने विवाह में कोई दहेज नहीं लीं । उपरोक्त सभी

क०प०उ०...2...

3433
S.D. Admin H/A

D.R.(M)

28.08.06

A.R.(M)
only for information
may file?
4.7.07

4-7-07

Handwritten signature

Asghar
nk-saxena
4/7/07


Handwritten signature

3 Copies

अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत धीपण-पत्र प्रत्येक दो प्रतियों में
माननीय उच्च न्यायालय के अवलोकनार्थ सौंपन किया जा रहा है ।

अतः उपरोक्तानुसार अनुपालन आख्या, माननीय उच्च
न्यायालय के अवलोकनार्थ सादर प्रस्तुत है ।

सौंपनकः यथोक्त ।


प्र० जनसद न्यायाधीश,
गोण्डा ।
22/8/2006

घोषणा-पत्र

Request-120

माननीय उच्च न्यायालय के परिपत्र क्रमांक-31/05,
दिनांक-29.10.2005, शासनदेशा संख्या-3670/60-3-04 16ए0-
क्यू0/2000, दिनांक-30.12.2004, 1107/60-3-05-3 16ए0-
क्यू0/2000, दिनांक-2.5.2005, 1284/60-3-2005-3 65 16ए0,
दिनांक-26.5.2005 तथा उत्तर प्रदेश दहेज, प्रतिषेध प्रथम-
संशोधन नियमावली 2004 के नियम 5 5 क में निहित
निर्देशों के अनुपालन में, मैं ब्रह्मतेज चतुर्वेदी आत्मज श्री बाबूरामजी
चतुर्वेदी, अपर सिविल जज ज.डि., न्यायालय कक्षा-2, गोण्डा
एतद्वारा घोषित करता हूँ कि मैंने अपने विवाह में कोई दहेज
नहीं लिया है।

~~ब्रह्मतेज चतुर्वेदी~~
17/08/06
§ ब्रह्मतेज चतुर्वेदी §,
अपर सिविल जज ज.डि.,
न्यायालयकक्षा सी0-2, गोण्डा।

17.8.2006

अवलो कित।

~~जिले जज,
गोण्डा।~~

17.8.2006

माननीय उच्च न्यायालय के परिपत्र क्रमक-31/05,
दिनांक-29.10.2005, शासनादेश संख्या-3670/60-3-04 16ए0-
क्यू0/2000, दिनांक-30.12.2004, 1107/60-3-05-3 16ए0-
क्यू0/2000, दिनांक-2.5.2005, 1284/60-3-2005-3 65 8,
दिनांक-26.5.2005 तथा उत्तर प्रदेश दहेज प्रतिषेध प्रथमसंशोधन
नियमावली 2004 के नियम 5 5 8 8 के निहित निर्देशों के
अनुपालन में, मैं ब्रह्मतेज चतुर्वेदी आत्मज श्री बाबूरामजी चतुर्वेदी,
अपर सिविल जज 8 8 8 8, न्यायालयकक्षा सं0-2, गौण्डा एतद्वारा
घोषित करता हूँ कि मैंने अपने विवाह में कोई दहेज नहीं लिया
है।

~~ब्रह्मतेज चतुर्वेदी~~
17/08/06
8 ब्रह्मतेज चतुर्वेदी 8,
अपर सिविल जज 8 8 8 8, डि. 8 8,
न्यायालयकक्षा सं0-2, गौण्डा।

17.8.2006

अमलोकित।

जिमी खज,

गौण्डा।

17.8.2006